

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी:—सुबोधसिंह चारण, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:—158/2023 (2023/363) प्रार्थना पत्र

अनवान

1. सुरेश पिता भंवरलाल बड़वा निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थी

बनाम

- 1 काना पिता भोपालदान बड़वा निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 2 घनश्याम पिता कालुदान बड़वा निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 3 प्रेमकंवर पिता भोपालदान बड़वा निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 4 प्रहलाद पिता भोपालदान बड़वा निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 5 भगवतीप्रसाद पिता शंकरलाल बड़वा निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 6 मनोहरदेवी पत्नि शंकरलाल बड़वा निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 7 संजयराम पत्नि शंकरलाल बड़वा निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 8 गोपालसिंह पत्नि घीसुसिंह बड़वा निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

उपस्थित

1. जाकिर हुसैन -

प्रार्थी अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 25.01.2024

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है राजस्व ग्राम सगरेव पटवार हल्का सगरेव तहसील रायपुर के बेरून हल्का आबादी में प्रार्थी के खातेदारी अधिकारी की कृषि आराजियात खाता संख्या 827 में अंकित आराजी संख्या 2044 रकबा 0.04 है0, आराजी संख्या 2045 रकबा 0.14 है0, आराजी संख्या 2046 रकबा 0.24 है0, आराजी संख्या 4890/2030 रकबा 0.0350 है0, आराजी संख्या 4891/2034 रकबा 0.23 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 0.685 है0 भूमि स्थित है। इसी प्रकार ग्राम सगरेव के खाता संख्या 825 में अंकित प्रार्थी व विपक्षी संख्या 1 से 7 की शामलाती चाह आराजी संख्या 2043 रकबा 0.06 है0 भूमि स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबंदी मय नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की हैं। प्रार्थी की उक्त आराजियात के चारों तरफ सीमा के मुश्तकील निशानात नहीं होने से प्रार्थी को काश्त करने, काश्त लाभ प्राप्त करने, घास आदि काटने व मवेशी चराने में दरम्यान पक्षकारान आपस में सीमा सम्बन्धी विवाद बना रहता है जिससे प्रार्थी को अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना आवश्यक हो गया है। प्रार्थी ने विपक्षीगण को कई मर्तबा को उक्त आराजी की पत्थरगढी कराने बाबत कहा लेकिन विपक्षीगण हरबार टालमबाजी का जवाब देते हैं। प्रार्थी ने विपक्षीगण को अन्तिम बार दिनांक 25.09.2023 को कहा लेकिन विपक्षीगण इन्कार हो गये, जिससे प्रार्थी को प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु विवश होना पड़ा है। अतः प्रार्थी की सादर प्रार्थना है कि उक्त वर्णित आराजियात की पत्थरगढी कराये जाने का आदेश तहसीलदार रायपुर के नाम प्रदान कराया जावे।



(Handwritten signature)

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इस न्यायालय मे दिनांक 25.10.2023 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को वजह जारी करने हेतु नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना मे विपक्षी संख्या 1 व 4 लगायत 8 बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से एकतरफा कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया एवं विपक्षी संख्या 2 लगायत 3 के अधिवक्ता उपस्थित जवाब प्रस्तुत नही करने जवाब बन्द किया गया। प्रार्थी खातेदार है और खातेदार अपनी आराजी की पत्थरगढी करवाने के लिये स्वतंत्र है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख मे किसी प्रकार का कोई परिवर्तन हाने का कोई अन्देशा नही है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। प्रार्थी खातेदार होकर अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है जिसमें अगर कोई विपक्षी ऐतराज भी करता है तो कानूनन स्वीकार योग्य नही है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम सगरेव पटवार हल्का सगरेव तहसील रायपुर के बेरून हल्का आबादी मे प्रार्थी के खातेदारी अधिकारो की कृषि आराजियात खाता संख्या 827 में अंकित आराजी संख्या 2044 रकबा 0.04 है0, आराजी संख्या 2045 रकबा 0.14 है0, आराजी संख्या 2046 रकबा 0.24 है0, आराजी संख्या 4890/2030 रकबा 0.0350 है0, आराजी संख्या 4891/2034 रकबा 0.23 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 0.685 है0 भूमि स्थित है। इसी प्रकार ग्राम सगरेव के खाता संख्या 825 में अंकित प्रार्थी व विपक्षी संख्या 1 से 7 की शामलाती चाह आराजी संख्या 2043 रकबा 0.06 है0 भूमि स्थित है। जिसकी पत्थरगढी कराये जाने हेतु सम्बधित भू-अभिलेख निरीक्षक को कमिश्नर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि इस हेतु प्रार्थी द्वारा पत्थरगढी शुल्क 200/-रूपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 500/-रूपये जमा होने पर उक्त आराजी की पत्थरगढी पक्षकारान को सूचित करते हुए बशामलात पक्षकारान के करायी जावें। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार रायपुर कमिश्नर से विधिवत् पत्थरगढी करावे। प्रकरण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। रजिस्टर मे दाखला अंकित किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 25.01.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(सुबोधसिंह चारण)
उपखण्ड अधिकारी
रायपुर जिला भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी:—सुबोधसिंह चारण, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:—158/2023 (2023/363) प्रार्थना पत्र

अनवान

1. सुरेश पिता भंवरलाल बड़वा निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थी

बनाम

- 1 काना पिता भोपालदान बड़वा निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 2 घनश्याम पिता कालुदान बड़वा निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 3 प्रेमकंवर पिता भोपालदान बड़वा निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 4 प्रहलाद पिता भोपालदान बड़वा निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 5 भगवतीप्रसाद पिता शंकरलाल बड़वा निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 6 मनोहरदेवी पत्नि शंकरलाल बड़वा निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 7 संजयराम पत्नि शंकरलाल बड़वा निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 8 गोपालसिंह पत्नि घीसुसिंह बड़वा निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

प्रेषित :—तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा पत्थरगढी कराने बाबत

उपरोक्त अनवान के प्रकरण में प्रार्थी के द्वारा अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाने पर दिनांक 25.01.2024 को स्वीकार किया गया उक्त प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में आपको आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम सगरेव पटवार हल्का सगरेव तहसील रायपुर के बेरून हल्का आबादी मे प्रार्थी के खातेदारी अधिकारी की कृषि आराजियात खाता संख्या 827 में अंकित आराजी संख्या 2044 रकबा 0.04 है0, आराजी संख्या 2045 रकबा 0.14 है0, आराजी संख्या 2046 रकबा 0.24 है0, आराजी संख्या 4890/2030 रकबा 0.0350 है0, आराजी संख्या 4891/2034 रकबा 0.23 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 0.685 है0 भूमि स्थित है। इसी प्रकार ग्राम सगरेव के खाता संख्या 825 में अंकित प्रार्थी व विपक्षी संख्या 1 से 7 की शामिलती चाह आराजी संख्या 2043 रकबा 0.06 है0 भूमि स्थित है।

इस हेतु प्रार्थी द्वारा पत्थरगढी शुल्क 200/—रूपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 500/—रूपये सम्बधित भू-अभिलेख निरीक्षक के पास जमा होने पर उक्त आराजी की पत्थरगढी पक्षकारान को सूचित करते हुए बशामलात पक्षकारान के करायी जावें।

मौके पर दौराने पत्थरगढी अगर प्रार्थी की आराजियात पर विपक्षी या अन्य का कब्जा पाया जाता है तो बिना कब्जे में दखल दिये उसको नजरी नक्शा एवं ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाते हुए पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका के प्रस्तुत करें।

हुक्मनामा आज दिनांक 25.01.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया गया।



(सुबोधसिंह चारण)

उपखण्ड अधिकारी

रायपुर, जिला भीलवाड़ा

नवपुर भीलवाड़ा